दिनांक 28.06.2021 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

रोका छेका अभियान के तहत निगम क्षेत्र में अवारा पशुओं की होगी धरपकड़

भिलाई निगम क्षेत्र में घूमने वाले अवारा मवेशियों को पकड़ने बनाई गई कर्मचारियों की टीम भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई , क्षेत्र अंतर्गत सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की धरपकड़ की जाएगी। निगम का अमला रोका-छेका संकल्प अभियान के तहत पशु मालिकों से संकल्प पत्र भराएंगे कि वे अपने मवेशी के चारा पानी सहित समुचित व्यवस्था स्वंय करेंगे। सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशु जो यातायात में बाधक बन कर दुर्घटना का कारण बनते हैं जिससे होने वाली दुर्घटना में पशुधन एवं जनधन की हानि होती है , इसलिए इनके धरपकड़ के लिए भिलाई निगम के कर्मचारियों की टीम बनाई गई है। भिलाई निगम क्षेत्र में रोका छेका अभियान के क्रियान्वयन के लिए शासन के निर्देश के परिपालन में निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने निगम के अधिकारी कर्मचारियों की दो दल इस कार्य के लिए गठन किया गया है। रोका-छेका संकल्प अभियान के तहत पशु मालिकों को अपने मवेशी की सुरक्षा स्वंय करने , चारा, पानी की समुचित व्यवस्था करने, आसपास के खेतों में फसलों तथा उद्यानों में पालतू मवेशियों का प्रवेश रोकने हेतु तथा पशुपालन से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट के लिए कंपोस्टिंग हेतु व्यवस्था करने भिलाई निगम क्षेत्र में संकल्प पत्र भराया जाएगा। निगम क्षेत्र के सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों वाहनों के टकराने दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए आज से रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने का कार्य किया जाएगा। पशुओं को पकड़ने के दौरान पशुपालक मौके पर पहुंचते है तो उनसे दाण्डिक शुल्क लेकर पशु को छोड़ा जाएगा। भिलाई की सड़कों पर पालतू मवेशियों के घूमते हुए पाए जाने पर पशु पालकों पर होगी कार्यवाही उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि सड़कों पर यूं ही घूमने वाले आवारा मवेशी पाए जाने पर पशु मालिकों पर भी नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गौधन को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशु जो यातायात में बाधक बन कर दुर्घटना का कारण बनते हैं जिससे होने वाली दुर्घटना में पशुधन एवं जनधन की हानि होती है। निगम की अपील है कि इससे बचने के लिए पशुपालक अपने पालतू मवेशियों को सड़कों पर आवारा घूमने न दें।